कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

निविदा सूचना संख्या–एफ–4 ( )/सा.प्र./निविदा/कोविको/2016/7813 दिनांकः 21/11/16

कार्य का नाम	:	**केन्टीन संचालन के कार्य हेतु**
निविदा कार्य की अवधि	:	एक वर्ष (वर्ष 2016–17 हेतु)
निविदा शुल्क	:	रू. 200/–
कार्य की अनुमानित वार्षिक लागत	:	रू. 4.00 लाख (अक्षरे रू. चार लाख मात्र)
धरोहर राशि	:	रू. 8000/– (अक्षरे रू. आठ हजार मात्र)
निविदा विक्रय की तिथि	:	दिनांकः 22/11/16 दोपहर 12.00 बजे से 01/12/16 सांय 5.00 बजे
निविदा जमा करने की तिथि	:	दिनांकः 02/12/16 समय दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांकः 02/12/16 समय सायं 3.00 बजे

कुलसचिव
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

निविदा प्रपत्र

(निविदाकार द्वारा भरकर लिफाफे में सीलबंद कर रखने हेतु)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....
   एवं पता ....
   दूरभाष नम्बर ....
2. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक ....
   ....
3. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांकः .... संलग्न किया जा रहा है।
4. हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांकः .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 07 (सात) दिवस की अवधि के भीतर कार्यादेश में वर्णित दरों एवं शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
6. उद्धत की गयी दरें अनुमोदित होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।
7. धरोहर राशि रू. .... का बैंक ड्राफ्ट/बेंकर्स चैक संख्या .... दिनांकः.................... संलग्न किया जा रहा हैं।
8. केन्टीन की वार्षिक दरे अनुमोदित होने पर 03 दिवस में संवेदक को राशि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा तथा बतौर सुरक्षा राशि रू.

50000/– (अक्षरे रू. पचास हजार मात्र) धरोहर राशि को समायोजित करते हुए विश्वविद्यालय में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

9. निम्न वर्णित केन्टीन सम्बन्धी कार्य/सामानो की आपूर्ति हेतु हमारी दरें निम्न प्रकार होगीं :–

क्र.स.	पेय/खाद्य पदार्थ का विवरण	मात्रा	संवेदक द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दर (समस्त कर सहित)
1	चाय प्रति कप	100 एम.एल.	
2	कॉफी प्रति कप	100 एम.एल.	
3	कोटा डेयरी द्वारा निर्मित दुग्ध उत्पाद/अमूल डेयरी उत्पाद		
4	ठण्डा पेय प्रति नग (एम.एल. व मेक लिखते हुए प्रत्येक की दर अलग–अलग स्पष्ट रूप से देवे) स्लाइस, फ्रूटी (लिमका, थम्सअप, पेपसी, मिरिन्डा आदि)		
5	सादा समोसा प्रति नग कचौरी प्रति नग , आलूबड़ा, प्रति नग ब्रेडपकौड़ा, प्रति नग पकौड़ी प्रति 100 ग्राम	75 ग्राम 75 ग्राम 75 ग्राम 75 ग्राम 100 ग्राम	
6	नमकीन 100ग्राम ब्राण्डेड		
7	बिस्कुट मीठा/नमकीन प्रति पैकेट (क्वॉलिटी पारले,ब्रिटानिया,एमप्रो गुड–डे व अन्य ब्राण्डेड कम्पनी के)		
8	स्पेशल डीलक्स थाली (पैकिंग सहित) मिठाई 1 नग, वेजीटेबल (पनीर, सीजनल), दाल, रायता, पुलाव, तवा चपाती 3 नग, तवा पराठा 2 नग, पापड़ (अचार, सलाद, पेपर नेपकीन, डि. चम्मच)		
9	राजस्थानी थाली (पैकिंग सहित) कत्त 2 नग, बाफला 2 नग, मसाला बाटी 1 नग, दाल, कढ़ी, गट्टे की सब्जी, पुलाव, लहसून–प्याज, व हरी चटनी, नींबू , पापड़ (पेपर नेपकीन, डि. चम्मच)		
10	मिनी थाली (पैकिंग सहित) मिठाई 1 नग, वेजीटेबल 1, दाल, पुलाव, तवा चपाती 2 नग, परांठा 1 नग, रायता, अचार, सलाद, पापड़		
11	साधारण थाली (पैकिंग सहित) तवा चपाती 5 नग, दाल, सीजनेबल सब्जी, पुलाव, सलाद		
12	नाश्ता मीनू (प्रति प्लेट) सेन्डवीच, मिठाई पीस(प्लेन मावा बर्फी), वेफर्स, कॉफी, मिनरल वाटर, केटरिग सहित		
13	चपाती प्रति नग		
14	दाल प्रति प्लेट (150 ग्राम)		
15	सीजनल सब्जी प्रति प्लेट(150 ग्राम)		
16	पूड़ी 250 ग्राम मय एक प्लेट सब्जी (पैकिंग सहित)		
17	दीक्षान्त समारोह में भाग लेने वाले अतिथियों/सदस्यों हेतु		

	मीनु अनुसार आपूर्ति करना **नाश्ते एवं चाय की व्यवस्था** 1. Dry Fruits – काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट गिरी 2. ताजा फल – पपीता, अंगुर, संतरा Transparent sheet से कवर किए हुए। (सीजनल) 3. बिस्कुट – मीठे व नमकीन (ब्राण्डेड) 4. Real Juices- Pineapple, Apple, Orange, Mix Juice 5. नींबू पानी 6. चाय तथा कॉफी 7. Mineral Water -कांच के गिलास में 8. सर्विस हेतु उच्च क्वालिटी की क्रोकरी , स्पून, यूटेनशील , पेपर नेपकीन आदि का प्रयोग किया जावेगा। **दोपहर नाश्ते की व्यवस्था** 1. इडली सांभर 2. सांभर बड़ा 3. खमण 4. वेजीटेबल कटलेट 5. ब्रेड सेंडविच 6. चाय तथा कॉफी 7. सर्विस हेतु उच्च क्वालिटी की क्रोकरी , स्पून, यूटेनशील , पेपर नेपकीन आदि का प्रयोग किया जावेगा। **दोपहर भोजन की व्यवस्था** 1. सूप–दो तरह के टमाटर व sweet corn 2. Real Juices –Pineapple, Apple, Orange, Mix Juice 3. Starter – Paneer Tikka & French Fries 4. सीताफल रबड़ी 5. गर्म गुलाब जामुन– बड़े साईज में 6. दही बड़ा, चटनी 7. दाल तड़का 8. कड़ी पकौड़ा 9. जीरा राईस 10. Baked Vegetable 11. पनीर बटर मसाला 12. Corn Palk Sabzi 13. भरवा भिंडी 14. तन्दूरी रोटी तथा तवा चपाती 15. सलाद 16. अचार 17. Fried Papad 18. Coffee		

	19. Ice-Cream- Vanilla & Butter Scotch 20. Mineral Water 21. Mouth Freshner – सौंफ, सुपारी, सूखा पान mixture 22. सर्विस हेतु उच्च क्वालिटी की क्रोकरी , स्पून, यूटेनशील , पेपर नेपकीन आदि का प्रयोग किया जावेगा।		
18	पूड़ी–8, आलू सब्जी फ्राईड(सूखी), लड्डू–1, नमकीन–30 ग्राम(पैकेट में) (पैकिंग सहित)		
18	शुद्ध पीने योग्य मिनरल वाटर – 1. 200 एम.एल. (पोली पेक) 2. 500 एम.एल. (पोली पेक) 3. 1000 एम.एल. (पोली पेक) 4. 1500 एम.एल. (पोली पेक) 5. 2000 एम.एल. (पोली पेक) 6. 5000 एम.एल. (पोली पेक) 7. 10 ली. (केम्पर) 8. 15 ली. (केम्पर) 9. 18 ली. (केम्पर) 10. 20 ली. (केम्पर)		

10. केन्टीन भवन की न्यूनतम किराया राशि (बिजली के उपयोग को छोड़कर) @ 2500/- (अक्षरे रू. दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह निर्धारित है। केन्टीन हेतु संवेदक को न्यूनतम किराया राशि से अधिकतम राशि रू. .... प्रतिमाह प्रस्तावित करनी होगी, जो कि प्रतिमाह की 07 तारीख तक वित्त व लेखा शाखा में जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित पेय/खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त किसी सामान की आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि द्वारा पूर्व में सूचना देने पर तदनुसार केन्टीन ठेकेदार को व्यवस्था करनी होगी।

नोटः– निविदा पत्र के साथ संलग्न शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गयी है एवं मैं संलग्न सभी शर्तो से सहमत हूं।

कुलसचिव

हस्ताक्षर निविदादाता एवं पूरा पताः–

कोटा विश्वविद्यालय,कोटा

....

....

....

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

–: विश्वविद्यालय केन्टीन ठेका शर्ते :–

1. निविदादाता नियमानुसार अर्थात् राजस्थान खाद्य पदार्थ मिलावट रोक नियम 1954 के अन्तर्गत तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाइसेन्सधारी होना चाहिए। बिना लाइसेन्स के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

2. निविदादाता को किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान/विश्वविद्यालय में केन्टीन अथवा रजिस्टर्ड रेस्टोरेन्ट चलाने का एक वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

3. केन्टीन ठेकेदार को केन्टीन प्रातः 6.00 बजे सांय 10.00 तक खुली रखकर सर्विस देनी होगी, जिसकी व्यवस्था के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के सामानों(चाय, नमकीन, बिस्कुट, खाना आदि) एवं खाद्य सामग्री का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वयं अपनी ओर से करना होगा। निर्धारित पेय/खाद्य सामग्री के अभाव में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित केन्टीन समिति के निरीक्षण व उसकी सिफारिश के फलस्वरूप प्रस्तावित जुर्माना राशि का निर्धारण किया जाकर देय बिल से वसूल किया जावेगा।

4. ठेकेदार को राजस्थान खाद्य पदार्थ मिलावट रोक नियम 1954 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए अल्पाहार गृह में पूर्ण स्वच्छता एवं हमेशा केन्टीन में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ व ताजा सामान रखना होगा । यदि बासी या खराब सामान पाया गया तो उस सामान को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिकृत केन्टीन समिति द्वारा नष्ट कर दिया जायेगा, साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से केन्टीन सफाई आदि की व्यवस्था के लिए किसी भी तरह की सहायता देय नहीं होगी तथा अल्पाहार गृह में केन्टीन कर्मचारी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखेंगे तथा यूनीफार्म में रहेंगे। केन्टीन परिसर एवं उसके आस–पास की जगह की साफ–सफाई एवं केन्टीन से निकलने वाले कचरे(West) का निस्तारण स्वयं ठेकेदार को निर्देशित चिन्हित स्थान पर करवाना होगा।

5. प्रशासनिक भवन के दायीं ओर स्थित केन्टीन भवन का न्यूनतम किराया रू 2500/– प्रतिमाह(अक्षरे रू. दो हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित है। इस राशि से अधिकतम किराया प्रस्तावित करना होगा।

6. बिजली का उपयोग केवल प्रकाश,पंखे,फ्रीज आदि के लिए किया जावेगा न कि खाना, चाय आदि बनाने के लिए। इसके लिए केन्टीन में बिजली का सबमीटर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जावेगा। बिजली के सबमीटर की वास्तविक यूनिट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई दर के आधार पर ठेकेदार को भुगतान करना होगा। बिजली से चाय, खाना आदि बनाये जाये पाने पर नियमानुसार रू. 500/– प्रतिदिन शास्ती आरोपित की जावेगी।

7. केन्टीन ठेकेदार को केन्टीन में चाय, नाश्ता, भोजन आदि बनाने के लिए ईंधन की सुविधा हेतु स्वयं का कार्मशियल गैस कनेक्शन रखना होगा। गैस प्रयोग के सभी आवश्यक दिशा–निर्देशों की पालना करनी होगी। यदि किसी असावधानी के कारण दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

8. अल्पाहार गृह के लिए प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त सामानों, फर्नीचर, पंखों, कूलर, आदि के रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। किसी भी प्रकार के सामान गुम/टूट–फूट होने की दशा में उसकी कीमत केन्टीन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

9. खाद्य पदार्थो पर किसी प्रकार की सब्सीडी(अनुदान) विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगी।

10. केन्टीन ठेके की अवधि स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की होगी, अर्थात् ठेका केन्टीन चालू करने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

11. नशीले पदार्थ जैसे– बीड़ी, सिगरेट, गुटका, शराब आदि अल्पाहार गृह में रखना या बेचना कानूनी अपराध होगा, नशीले पदार्थ पाये जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।

12. केन्टीन ठेकेदार द्वारा केन्टीन में सामानों की बिक्री विश्वविद्यालय कर्मचारियों एवं बाहरी व्यक्तियों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत दरों पर ही की जावेगी, जिसकी सूची केन्टीन हाल में सूचना पट्ट पर लगानी होगी, स्वीकृत दर से अधिक राशि पर सामान बिक्री करते हुए पाये जाने पर स्वीकृत दर से दुगुनी राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

13. केन्टीन ठेकेदार को विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशो की पालना करनी होगी ओर यदि वह ऐसा करने में जानबूझकर लापरवाही बरतेगा/उल्लघन करेगा, ठेका शर्तो की पालना नहीं करेगा अथवा किसी भी गुटबाजी/गुटबन्दी को प्रोत्साहित करेगा, तो कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध को तुरन्त समाप्त कर सकेगा। साथ ही यदि ठेकेदार कार्य बीच में छोड़कर जाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी ।

कुलसचिव
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

हस्ताक्षर निविदादाता
पूरा पता जिस पर पत्र
व्यवहार किया जा सके।